न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर

प्रकरण संख्या : अपील/डिक्री/टीए/1867/2004/अलवर

1. राजस्थान सरकार जरिये कलक्टर अलवर।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजगढ जिला अलवर।

....अपीलार्थीगण/प्रतिवादीगण

बनाम

1. शिम्भूदयाल पुत्र किशोरीलाल
2. मु0 मनोहरी पुत्री मूल्या
3. रामगोपाल पुत्र लिक्ष्मण

–समस्त जाति ब्राहमण निवासीगण ग्राम थौसडी तहसील राजगढ जिला अलवर।

....उत्तरदातागण/वादीगण

खण्ड पीठ
श्री प्रवीण गुप्ता, सदस्य
श्री मनोज कुमार नाग, सदस्य

उपस्थितः–

श्रीमति पूनम माथुर अति.राजकीय अधिवक्ता, अपीलार्थीगण।
श्री वैभव पारीक, अधिवक्ता, उत्तरदातागण।

निर्णय

दिनांकः– 18–09–2019

यह अपील अन्तर्गत धारा 224 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 (संक्षेप में 'अधिनियम') के तहत राजस्व अपील प्राधिकारी, अलवर द्वारा अपील सं. 12/2002 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 02–01–2004 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

2. राज्य सरकार ने हस्तगत द्वितीय अपील मियाद से बाधित पेश किए जाने के कारण अपील प्रस्तुतीकरण में हुए विलम्ब को क्षमा करने बाबत भारतीय परिसीमा अधिनियम, 1963 की धारा 5 का प्रार्थना पत्र मय कारणों के पेश किया है। हमने उक्त प्रार्थना पत्र के संबंध में उभयपक्ष को सुना। हमारे द्वारा प्रार्थना पत्र में वर्णित बिन्दुओं का अवलोकन किया है तथा हम पाते है कि उल्लेखित कारण सद्भावी, सत्य तथा ठोस होने के कारण उन पर विश्वास किया जाकर प्रकरण प्रस्तुतीकरण में हुए विलम्ब को क्षमा किया जाकर इस द्वितीय अपील को अंदर मियाद शुमार किया जाता है।

3. संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजगढ के समक्ष वादीगण/रेस्पोडेन्ट्स ने एक वाद इस्तकरारहक ग्राम थौसडी तहसील राजगढ स्थित विवादित आराजियात खसरा संख्या 151 रकबा 50 एयर, 152 रकबा 1-37 हैक्टर, 153 रकबा 47 एयर, 154 रकबा 1-32 हैक्टर भूमि के संबंध में प्रतिवादी राज्य सरकार के विरूद्ध पेश किया। वादीगण ने उक्त वाद इस आशय के साथ पेश किया कि बंदोबस्त सम्वत 2020 को नवीन बंदोबस्त सम्वत 2046 में उक्त भूमि पर गोचर भूमि का इन्द्राज खिलाफ कानून व निरस्त होने योग्य है। वादीगण उक्त इन्द्राजात को दुरस्त करवाने का मुस्तहक है व जारी किए जाने हुक्मईम्तनाई दवामी। उक्त वाद पत्र का प्रतिवादी राज्य सरकार ने अपना जवाबदावा पेश किया। उक्त जवाबदावा इस आशय के साथ पेश किया कि विवादित आराजी चरागाह दर्ज रेकार्ड है और पूर्व में भी चरागाह के काम आ रही है। ग्राम की पशुधन संख्या को देखते हुए ग्राम थौसडी की चरागाह भूमि कम है। अतः दावा काबिल खारिज है। दावे व जवाबदावे के आधार पर विचारण न्यायालय ने वाद में अनुतोष सहित 3 विवाद्यक कायम किए तथा प्रत्येक विवाद्यक को विरचित करते हुए वादीगण के वाद को सिद्ध नहीं होना प्रमाणित कर आज्ञा दिनांक 25-02-2002 से अपास्त कर दिया। उक्त निर्णय व डिक्री से अप्रसन्न होकर वादीगण ने प्रथम अपीलीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी अलवर के समक्ष अपील पेश की, जिसे उन्होंने आक्षेपित निर्णय व डिक्री दिनांक 02-01-2004 द्वारा स्वीकार करते हुए उपखण्ड अधिकारी राजगढ द्वारा पारित निर्णय व डिक्री को अपास्त कर दिया। प्रथम

अपीलीय न्यायालय ने उक्त आदेश इस आशय के साथ पारित किया कि ग्राम थौसडी तहसील राजगढ स्थित विवादित आराजियात खसरा संख्या 151 रकबा 50 एयर, 152 रकबा 1–37 हैक्टर, 153 रकबा 47 एयर, 154 रकबा 1–32 हैक्टर भूमि का वादीगण को बहिस्से बराबर का खातेदार घोषित करते हुए बंदोबस्त सम्वत 2020 तथा 2046 में किए चारागाह के अंकन निरस्त किए जाते है तथा प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वे वादीगण के कब्जेकाश्त में किसी प्रकार का रूकावट व मजाहमत न करें। राजस्व अपील प्राधिकारी अलवर द्वारा पारित उक्त निर्णय व डिक्री दिनांक 02–01–2004 से व्यथित होकर राज्य सरकार/प्रतिवादीगण ने हस्तगत द्वितीय अपील मण्डल के समक्ष पेश की है।

4. हमने उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी।

5. विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थीगण/प्रतिवादीगण ने बहस में कथन किया कि प्रथम अपीलीय न्यायालय का निर्णय एवं डिक्री न्याय, नियम एवं रिकार्ड के विपरीत होने से निरस्तनीय है। उनका कहना है कि वादीगण आराजी के रेकार्डेड खातेदार नहीं है तथा उक्त भूमि शुरू से ही चरागाह थी और आज भी चरागाह ही दर्ज है। आगे बताया कि जमाबंदी सम्वत 2012 उक्त भूमि मकबूजा मालखाना कालम संख्या 4 में अंकित है तथा कालम संख्या 3 में शामलात पटटी थोसडी हस्ब रसद का अंकन है। अर्थात वादीगण या उनके पूर्वज का कोई बिस्वेदारी का इन्द्राज नहीं है, साथ ही प्रस्तुत गिरदावरियों में भी वादीगण या उनके पूर्वजों के नाम का अंकन नहीं है। जिससे भूमि पर वादीगण द्वारा काश्त किया जाना सिद्ध होता हो। इसके अतिरिक्त पर्चा सम्वत 2020 के अनुसार भी भूमि चरागाह दर्ज है, इस प्रकार प्रथम अपीलीय न्यायालय ने तनकी संख्या 1 को वादीगण के हक में निर्णित कर भूल की है। यहीं नहीं विवादित रकबा चरागाह भूमि होने के कारण पशु चराने के काम में आती है, इसलिए चरागाह भूमि पर कानूनन खातेदारी अधिकार देय नहीं है। उनका तर्क है कि मामले में प्रथम अपीलीय न्यायालय ने अपना निर्णय केवल मात्र मौखिक साक्ष्य के आधार पर पारित किया है। उनका यह भी तर्क है कि प्रथम अपीलीय न्यायालय ने चरागाह भूमि के संबंध में वादीगण

के पक्ष में खातेदारी अधिकार प्रदान कर अनियमितता की है। उक्त तथ्यात्मक एवं विधिक परिवेश में प्रथम अपीलीय न्यायालय ने विधि के स्थापित सिद्धान्तों के विपरीत निर्णय पारित किए है, जो कि त्रुटिपूर्ण होने के कारण निरस्त किए जाने योग्य है। अन्त में उन्होंने प्रस्तुत द्वितीय अपील को स्वीकार कर राजस्व अपील प्राधिकारी अलवर द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 02-01-2004 को निरस्त करते हुए उपखण्ड अधिकारी राजगढ द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 25-02-2002 को यथावत बहाल रखे जाने का निवेदन किया।

6. इसके विपरीत उत्तरदातागण/वादीगण के विद्वान अधिवक्ता ने अपनी बहस में प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री को तर्कसंगत एवं विधि सम्मत होना बताया। उनका कथन है कि विवादित रकबा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 15, 15 ए व बी तथा 16 के अन्तर्गत वर्णित भूमि की श्रेणी में नहीं आती है और इन धाराओं के अन्तर्गत वादीगण को खातेदारी दिया जाना प्रतिबंधित नहीं है। चूँकि दिनांक 15-11-1959 को बिस्वेदारी उन्मूलन अधिनियम लागू होने के समय वादीगण आराजी के काश्तकार थे। आगे बताया कि सम्वत 1990 से काश्तकारी अधिनियम व बिस्वेदारी उन्मूलन अधिनियम लागू होने के समय तक विवादित रकबा रेकार्ड में चरागाह अथवा सिवायचक दर्ज नहीं था। इसके अतिरिक्त सम्वत 2020 में सर्वप्रथम भूमि को बंदोबस्त विभाग द्वारा चरागाह अंकित कर दिया गया। उनका तर्क है कि बंदोबस्त विभाग को पुराने इन्द्राजातों को परिवर्तित करने की अधिकारिता प्राप्त नहीं है। उनका आगे तर्क है कि विवादित रकबे पर वादीगण का कब्जाकाश्त है तथा भूमि कभी भी चरागाह के काम में नहीं ली गई है तथा न ही उस पर कभी मवेशी चरने गये। आगे बताया कि जमाबंदी सम्वत 1990 के अनुसार विवादित भूमि के वादीगण काश्तकार दर्ज है तथा उनके पक्ष में यह इन्द्राजात सम्वत 2020 में बंदोबस्त होने तक कभी परिवर्तित नहीं किए गए। चूँकि आराजी बिस्वेदारी की भूमि थी। अतः बिस्वेदारी उन्मूलन अधिनियम लागू होने के कारण दिनांक 15-11-1959 को वादीगण बिस्वेदारी उन्मूलन अधिनियम की धारा 30 (1) के अनुसार स्वतः खातेदार काश्तकार घोषित हो गए। उक्त विधिक परिवेश में प्रकरण में प्रथम अपीलीय न्यायालय का निर्णय विधि के स्थापित सिद्धान्तों के

अनुसरण में होने के कारण उसमें द्वितीय अपील के स्तर पर किसी प्रकार का हस्तक्षेप अपेक्षित नहीं है। अन्त में उन्होंने अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत द्वितीय अपील को सारहीन होना बताते हुए खारिज कर प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री को यथावत बहाल रखे जाने का निवेदन किया। उन्होंने अपने तर्को के समर्थन में 2019 आरआरटी 970, 2017 आरआरटी 664, 2018 डीएनजे 135 के न्यायिक दृष्टान्तों को पेश किया।

7. हमनें उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध समग्र रेकार्ड का गहन परीक्षण किया एवं दोनों अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया।

8. दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णयों व पत्रावलियों में संलग्न दस्तावेजात के परीक्षण के बाद यह स्पष्ट है कि मुताबिक पर्चा भू प्रबन्ध सम्वत 2020 के अनुसार खसरा संख्या 43 रकबा 28 बीघा 2 बिस्वा वाके थौसडी चरागाह दर्ज रेकार्ड है। उक्त साबिक खसरा नम्बरान के नवीन खसरा संख्या 151 रकबा 50 एयर, 152 रकबा 1–37 हैक्टर, 153 रकबा 47 एयर, 154 रकबा 1–32 हैक्टर कायम किए गए, जिसकी पुष्टि मिलान क्षेत्रफल सम्वत 2046 से होती है। जमाबंदी सम्वत 2049 के अनुसार उक्त हाल खसरा नम्बरान भी चरागाह दर्ज रेकार्ड है। उक्त रेकार्ड के अनुसार प्रथम दृष्टया यह प्रतीत होता है कि विवादित रकबा पूर्व में चरागाह दर्ज था और हाल में भी चरागाह दर्ज है। सारांशतः यह पाया जाता है कि बंदोबस्त विभाग द्वारा रेकार्ड में कोई गलत इन्द्राजात नहीं किए गए है तथा बंदोबस्त विभाग द्वारा गत के मुताबिक ही हाल इन्द्राजात किए गए है, जो कि नियमानुसार है।

9. प्रतिवादी राज्य सरकार ने अपने जवाबदावे में इस तथ्य को इंगित किया है कि विवादित रकबा पूर्व व वर्तमान रेकार्ड में चरागाह दर्ज है। इसके अतिरिक्त ग्राम की पशुधन की संख्या को देखते हुए चरागाह भूमि कम है तथा वादीगण विचारण न्यायालय के समक्ष इस तथ्य को सिद्ध करने में असफल रहे है। मुताबिक जमाबंदी सम्वत 2012 के अंकित

इन्द्राज के अनुसार गत खसरा संख्या 101 रकबा 29 बीघा 16 बिस्वा मकबूजे मालखाना कालम संख्या 4 में अंकित है तथा कालम संख्या 3 में शामलात पट्टी थौसडी हस्ब रसद बेचर का इन्द्राज अंकित है व उक्त रेकार्ड में किसी प्रकार की कोई टिप्पणी अंकित नहीं है। रेकार्ड में वादीगण या उनके पूर्वजों के नाम का बिस्वेदारी के रूप में अंकन नहीं है। वादीगण द्वारा अपने वाद के समर्थन में प्रस्तुत गिरदावरियों में भी वादीगण व उनके पूर्वजों से संबंधित कोई इन्द्राजात नहीं है, जिसमें काश्त वादीगण की होना साबित होता हो। वादीगण द्वारा पेश गिरदावरियों के कालम संख्या 5 में मकबूजे मालखान का इन्द्राज अंकित है व कोई टिप्पणी नहीं की गई है। मामले में निर्मित्त तनकी संख्या 1 महत्वूपर्ण है, जिसके बाबत विचारण न्यायालय ने उनके समक्ष उपलब्ध रेकार्ड के आधार पर उक्त तनकी को वादीगण के विरूद्ध निर्णित करने के निष्कर्ष से यह न्यायालय सहमत है। इसी प्रकार तनकी संख्या 2 व 3 को भी उक्त तनकी संख्या 1 को आधारित करते हुए निर्णित करने में किसी विधि का उल्लंघन होना प्रतीत नहीं होता है। सारांशतः यह प्रतीत होता है कि वादीगण के मूल वाद में विचारण न्यायालय द्वारा निर्णय व डिक्री दिनांक 25-02-2002 पारित करने में न्यायालय ने किसी प्रकार की अनियमितता नहीं की है।

10. उक्त विधि सम्मत तरीके से पारित किए गए निर्णय व डिक्री के विरूद्ध रेस्पोडेन्ट्स/वादीगण द्वारा प्रथम अपीलीय न्यायालय के समक्ष पेश अपील में न्यायालय ने अपील को स्वीकार करते हुए उपखण्ड अधिकारी राजगढ द्वारा पारित निर्णय व डिक्री को अपास्त करते हुए वादीगण के वाद को डिक्री किया है। प्रथम अपीलीय न्यायालय के आक्षेपित निर्णय से यह स्पष्ट है कि दावे में अंकित मौखिक साक्ष्य को यथावत स्वीकार कर लिया गया एवं दावे को साबित करने के लिए कोई साक्ष्य लेने का प्रयास नहीं किया गया। दावे को डिक्री करने को औपचारिकता मात्र माना गया एवं साक्ष्य की आवश्यकता ही अनुभव नहीं की गई है। इस प्रकार वादीगण/प्रत्यर्थीगण के अभिकथनों को सत्य मानते हुए बिना किसी साक्ष्य के दावे को डिक्री किया गया है। पत्रावली के अवलोकन से यह प्रतीत होता है कि विचारण न्यायालय के समक्ष राज्य सरकार द्वारा पेश दावे में किए गए अंकन कि वादीगण अपने दावे को स्वयं राजस्व अभिलेखों से

साबित करें तथा अपीलीय न्यायालय ने अपने निर्णय में राज्य सरकार के उक्त जवाबदावे में किए गए अंकन को आधारित करते हुए अपना निष्कर्ष अंकित किया है, जो कि उचित नहीं है। यह भी सुस्थापित विधि है कि वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र में अभिवचित तथ्यों पर आंख मूंदकर विश्वास नहीं किया जाना चाहिये एवं अभिवचित तथ्यों की पुष्टि हेतु न्यायालय अतिरिक्त साक्ष्य की अपेक्षा कर सकता है। हमारे द्वारा प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय का विधायिका की भावना के अनुसार परीक्षण करने पर हम पाते है कि अपीलीय न्यायालय ने उपलब्ध रेकार्ड के विपरीत तथा मौखिक साक्ष्य को आधारित करते हुए वादीगण के वाद को डिक्री करने में विधि का उल्लंघन तथा अपने क्षेत्राधिकार का दुरूपयोग किया है, जिसका यह न्यायालय समर्थन नहीं कर सकता। रेस्पोडेन्ट्स ने अपने तर्को के समर्थन में जिन न्यायिक दृष्टान्तों का अवलम्बन लिया है, उनसे हम सहमत नहीं है तथा पेश किए गए उद्धरण से रेस्पोडेन्ट्स को किसी प्रकार का सहायता प्राप्त नहीं हो सकती। स्थिति यह प्रकट होती है कि इस द्वितीय अपील में तथ्य व विधि का बिन्दु निहित होने के कारण इसे स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः हमारी विनम्र राय में आक्षेपित निर्णय विधिक दृष्टि से दोषपूर्ण होने के कारण अपास्त किए जाने योग्य है।

11. उपरोक्त सम्पूर्ण विवेचन के आधार पर अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत इस द्वितीय अपील में सारवान व विधिक बिन्दु निहित होने के कारण स्वीकार की जाती है तथा राजस्व अपील प्राधिकारी अलवर द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 02-01-2004 को अपास्त किया जाकर उपखण्ड अधिकारी राजगढ द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 25-02-2002 को यथावत बहाल रखा जाता है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मनोज कुमार नाग)
सदस्य

(प्रवीण गुप्ता)
सदस्य